

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक 4541/वित्त स्था./निर्वा.भर्ती/2023

राजनांदगांव, दिनांक 04/07/2023

∴ विज्ञापन ∴

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक 241/स्था./वि.स.नि./2023 /1651 रायपुर, दिनांक 11.05.2023 के द्वारा जिले के निर्वाचन कार्यालय एवं विधानसभा क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) कार्यालयों हेतु 05 पद सहायक ग्रेड-3 (संविदा) एवं 06 पद भृत्य (कलेक्टर दर) नियुक्ति दिनांक से 30.11.2023 तक के लिये स्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप रिक्त संविदा/कलेक्टर दर के पदों हेतु दिनांक 10.07.2023 तक स्थान कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव (छ.ग.) में आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाता है :-

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : विज्ञापन दिनांक से 10.07.2023 तक
कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 से 05:30 बजे तक

1 सहायक ग्रेड-3 (संविदा) :- नियुक्ति दिनांक से 30.11.2023 तक के लिये

क्र.	श्रेणी/वर्ग	श्रेणी/वर्गवार पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	निःशक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	
1	अनारक्षित	2	-	-	-	2
2	अनुसूचित जाति	1	-	-	-	1
3	अनुसूचित जनजाति	1	-	-	-	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	-	-	-	1
	योग	5	-	-	-	5

2 भृत्य (कलेक्टर दर) :- नियुक्ति दिनांक से 30.11.2023 तक के लिये

क्र.	श्रेणी/वर्ग	श्रेणी/वर्गवार पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	निःशक्तजन	भूतपूर्व सैनिक	
1	अनारक्षित	2	-	-	-	2
2	अनुसूचित जाति	1	-	-	-	1
3	अनुसूचित जनजाति	2	-	-	-	2
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	-	-	-	1
	योग	6	-	-	-	6

शैक्षणिक योग्यता एवं वेतमान :-

1 सहायक ग्रेड-3 पद हेतु -

- (अ) वेतनमान - संविदा वेतन 14,200/- रुपये एक मुश्त
(ब) शैक्षणिक योग्यता -

1 मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

- 2 पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
3 मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् प्रमाण-पत्र तथा
4 कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

2 भृत्य पद हेतु -

- (अ) वेतनमान - कलेक्टर दर
(ब) शैक्षणिक योग्यता - आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण


A. आवेदन पत्र के संबंध में दिशा-निर्देश :-

I. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र पर 1 पासपोर्ट आकार का स्व-प्रमाणित फोटो चस्पा करना तथा आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना होगा :-

- 1 आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2 पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2023 समय 5.30 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पदनाम सहायक ग्रेड-3, भृत्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र लिखा हो।
3 आवेदन-पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4 आवेदन-पत्र में उम्मीदवार का नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो जिस पर स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित चस्पा करें, जो स्वप्रमाणित होना चाहिए।

II. उक्त पदों में भर्ती हेतु उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि विज्ञापन दिनांक से 10.07.2023 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:30 बजे के बीच में कार्यालयीन दिवस में डाक अथवा सीधे जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। अंतिम तिथि के निर्धारित समय सायंकाल 5.30 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

- III. प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी/जांच कर पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की दावा आपत्ति सूची पदवार सूचना पटल पर चरपा किया जावेगा तथा मेरिट आधार पर नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को आगामी तिथि को कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आहूत किया जायेगा, जिसकी सूची एवं सूचना जिले के वेबसाईट www.rajnandgaon.gov.in में अपलोड कर दी जावेगी साथ ही कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा किया जायेगा, सूचना पटल/वेबसाईट का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। पृथक से पत्राचार नहीं किया जावेगा।
- IV. आवेदन पत्रों की जांच/स्कूटनी उपरांत आवेदित पद सहायक ग्रेड-3 हेतु पात्र अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के मेरिट के आधार पर 01 पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु मेरिट सूची, सूचना पटल पर चरपा किया जावेगा तथा अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का 60 प्रतिशत, कौशल परीक्षा का 30 प्रतिशत तथा निर्वाचन कार्य संबंधी अनुभव होने पर 10 अंक कुल 100 अंक के आधार पर वरीयता सूची बनाई जावेगी।
- V. कार्य अनुभव के संबंध में निर्वाचन कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- VI. वरीयता सूची में मेरिट क्रम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय सूचना पटल एवं राजनांदगांव जिले के वेबसाईट www.rajnandgaon.gov.in में उपलब्ध कराई जावेगी।
- VII. नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर में अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- VIII. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- IX. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- X. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
- XI. आवेदन-पत्र में त्रुटि होने या आवेदन-पत्र अपूर्ण हो तो त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन में किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
- XII. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- XIII. भर्ती/नियुक्ति की कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।
- XIV. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बतायें किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
- XV. चयन प्रक्रिया के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।



B. चयन प्रक्रिया :-

1. सहायक ग्रेड-3 पद हेतु -

कुल 100 प्रतिशत में से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का अधिभार (वेटेज) 60 प्रतिशत, कौशल परीक्षा का अधिभार (वेटेज) 30 प्रतिशत एवं निर्वाचन संबंधी कार्य अनुभव का 10 अंक होगा। शैक्षणिक अर्हता, कार्य अनुभव एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट सूची के आधार पर वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

2. भृत्य पद हेतु -

कुल 100 प्रतिशत में से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का अधिभार (वेटेज) 90 प्रतिशत एवं निर्वाचन संबंधी कार्य अनुभव का 10 अंक होगा। शैक्षणिक अर्हता, कार्य अनुभव के अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट सूची के आधार पर वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

यदि किसी आवेदक को आठवीं कक्षा की अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का ग्रेडिंग चार्ट पूर्णांक पर ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जायेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के कक्षा आठवीं का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में आयु में जो उम्मीदवार वरिष्ठ होगा, वह चयन हेतु पात्र होगा।

C. भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश :-

1. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व., महिला एवं संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक की आयु मान्य नहीं होगी, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर स्क्रीनिंग के लिये कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना, अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु आहुत किया जा सकेगा अथवा चयन समिति समस्त योग्य अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा लेने हेतु स्व-निर्णय लेने स्वतंत्र होंगे।
3. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी, इसमें सही पाए जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

4. संविदा मानदेय/कलेक्टर दर - संविदा/सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा तथा कलेक्टर दर जिले में निर्धारित कलेक्टर दर अनुसार होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
5. उपरोक्त संविदा अवधि नियुक्ति दिनांक से 30.11.2023 तक के लिए होगी, उसके पश्चात् यह पद स्वतः समाप्त हो जावेगा।
6. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जावेगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
9. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किए जायेंगे।
10. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/भाषणों पर निर्भर करेगी।
11. उक्त पद के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इस प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
12. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की संज्ञा में रखा जावेगा।
13. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव का होगा, जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
14. विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जिला-राजनांदगांव होगा।
15. विज्ञापन एवं अन्य विवरण जिले की वेबसाइट www.rajnandgaon.gov.in पर उपलब्ध है।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 4541 / वित्त स्था. / निर्वा.भर्ती / 2023
प्रतिलिपि :-

राजनांदगांव, दिनांक 04 / 07 / 2023

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, जनसम्पर्क छ.ग. को सूचनार्थ। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिये सहायक ग्रेड-03 (संविदा) एवं भृत्य (कलेक्टर दर) के पदों हेतु भर्ती का विज्ञापन 02 दैनिक समाचार पत्रों में सक्षिप्त प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य निर्वाचन, राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर जिला कार्यालय राजनांदगांव को सूचना फलक में प्रकाशन हेतु।
6. ✓ डीआईओ, एनआईसी राजनांदगांव की ओर विज्ञापन की छायाप्रति जिले के वेबसाईट में तत्काल अपलोड करने हेतु।
7. सहायक संचालक जनसंपर्क राजनांदगांव की ओर दैनिक/स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
राजनांदगांव (छ.ग.)

9. रोजगार कार्यालय का नाम :
- जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक :
10. क्या आवेदक छ.ग. का मूल निवासी है ? (हाँ/नहीं) :
11. क्या उम्मीदवार विवाहित है (हाँ/नहीं) :
12. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :

13. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची :-

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता

(टीप :- फोटो एवं सर्व संलग्न दस्तावेजों की छायाप्रति स्व-प्रमाणित होगी)

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापन के समस्त विवरण ध्यान से पढ़ लिया है। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ सत्य और सही हैं। मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पायी जावेगी तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त की जावेगी, जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे नहीं होगा। संलग्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति मांगे जाने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता

मो.नं.